16/6/25

पक्षा. पेश हुई वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी स्वयं अनुपस्थित। प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी को न्यायालय उपस्थित होने हेतु आवाज लगवाई गई। कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। मुंसिफ दावा वादी अदम दाखिली अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है अतः प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य शेष नहीं रहता है। प्रार्थना पत्र उसी स्टेट पर खारिज किया जाता है।

पक्षा. फैसला शुमार हो, नंबर व क्रम होवर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:52:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner